

प्रेषकः

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

रोवा भे,

आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, ८०प्र०।

संख्या १/शा०/०१) /२०१४-१/२१/२०१४ : लखनऊ: दिनांक २५^८ अप्रैल, २०१४
विषय:-चालू वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में अनुदान संख्या-१४ के अधीन लेखाशीर्षक २५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-००१-निदेशन तथा प्रशासन-०३- पंचायतीराज, निदेशालय, परियोजना प्रबन्ध इकाई (**बी०आर०जी०एफ०**) के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदयः

उपर्युक्त विषयक विशेष राचिव पंचायतीराज ८०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-७४९(१)/३३-३-२०१४-३५/२०१४, दिनांक १७ अप्रैल, २०१४ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में वेतन भत्ता आदि मद में प्राविधिक धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि के लिए रवीकृत (माह अप्रैल २०१४ से जुलाई, २०१४ तक) परियोजना प्रबन्ध इकाई (**बी०आर०जी०एफ०**) के अधिभान मद में व्यय हेतु संलग्न विवरण के अनुसार रु०-१८९००००/- (रुपया अंतर्भुत लाख नब्बे डिशर मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

१- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-१ के कार्यालय झाप संख्या-बी-१-७९५/दस-२०१४-२३१/२०१४, दिनांक १४ मार्च, २०१४ में उल्लिखित निदेशों का कड़ाई से अक्षरता अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

२- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐरी रवीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिभाष कुल धनराशि का १/४ मात्र ही हो। यदि किसी माह में १/४ मात्र से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक व्यय न किया जाय।

३- धनराशि के कोषागार से आहरण की फौजेंग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो समान्यत दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी;

४- आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्ण ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

५- शासकीय व्यय में मितव्यपिता निलान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यपिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

६- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-१४ के अधीन लेखाशीर्षक -२५१५-अन्य प्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-००१-निदेशन तथा प्रशासन-०३-पंचायतीराज निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत गानक मदों के नामे ढाला जायेगा।

७- वेतन मत्ते आदि का आहरण केवल सूजित पदों के सापेक्ष हो किया जाय। नियमानुसार अनुमत्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। आहरण तात्कालिक आदरशकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निदेशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

८- सामान्यता: बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम-२७ से कोई धनराशि आहरण न किया जाये।

९- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी०एम०-४ पर अनेवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०-४ पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार बालचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि वा उल्लेख अवश्य किया जाए।

आवंटन

आयोजनागत-अनुदान सं०-१४
तेरह अंको का फॉड-२५१५००००१०३००

10— उड़रण वितरण अधिकारी को बजट उगली बार तभी आवित किया जायेगा जब उपयुक्तानुसार बी०ए०-४ पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

11— बी०ए०-४ पर सूचना नियमित एवं समयबद्ध रूप से नहीं भेजी जाती हैं तो गवन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

12— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाणान्पत्र गोट करना अवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते रागद पर्याप्त औचित्य अवश्य अकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किए जायेगा।

13— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न मिये जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के लोई धनराशि कोषागार से अहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण के विलद्ध विमार्गीय कार्यवाही की सख्ती कर दी जायेगी।

14— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय के सूचन इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15— कोषागार से आहरित धनराशि का गारिक विवरण बी०ए०-४ पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकॉर्डिंगेशन स्टेटमेंट आगामी माह की ५ तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-१ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—३५ पर उक्त केत है।

अंलेनक उपचोक्तानुसार।

मवदीय,

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: १/शा०/०) /१/२०१४ सदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

१—ग्रमुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

२—ग्रमुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-२ ल०प्र० शासन।

३—मह लेखाकार सी०पी० सी० २ ल०प्र०, इलाहाबाद।

४—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम ल०प्र०, इलाहाबाद।

५—गरिमा उपभालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, १५-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, ल०प्र०, इलाहाबाद।

६—मुख्य कोषागारी, जावहर गवन, लखनऊ।

७—परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई (बी०आर०जी०एफ०), उत्तर प्रदेश।

८—कर्तीकी निदेशक, एन०आई०स०० नवां तल बापू गवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विमान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(शहजाद अहमद अन्नारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-25/04/2014

प्रेषण संख्या:-

1-sha-07-2014-4-21-2014
001-02-2014

आवंटन आदेश संख्या:-

14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

**अनुदान संख्या:-
संभासीर्का:-**

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (आवेदनागत मतदेय)

**001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - पंचायती राज निदेशालय**

(धनराशि रु. में)

S.No.	क्रमांक/जनपद का नाम	01 बैजन मत्ता	03- ग्रामांक संघ	04-याता सम्बन्धित साज तथा	05- सम्बन्धित साज तथा	06- सार्वजनिक संघ	11-लेखन सम्बन्धित संघ	13- सम्बन्धित संघ	26-मरीने और ¹ ओर फार्मो ² साज संघ	42-भूम्य काउलरी/साप्तरीमेय का क्षय	46-प्रमूख काउलरी/साप्तरीमेय	शीर्ष
1	ग्राम पंचायत- निदेशन, पंचायती राज, गोप्ता, सखना-०१- प.वा-०१	पर्वतमान भूगम्पी निदेशन	640000 640000 640000	17000 33000 17000	133000 133000 33000	167000 167000 50000	50000 50000 167000	10000 10000 50000	33000 33000 67000	100000 100000 10000	1890000 1890000 1890000	
	शीर्ष	निदेशन भूगम्पी	640000 640000	17000 17000	133000 33000	167000 133000	50000 10000	10000 50000	33000 67000	100000 100000	1890000 1890000	

**महत्योग- (वर्तमान आवंटन)-
महत्योग- (प्रामाणी आवंटन)-:**

सम्पर्या अठारह लाख लाख तक हजार
सम्पर्या अठारह लाख लाख हजार

श.हमाद भुजमद असारी
मुख्य वित्त एवं सेक्षालेकारी